RAS MAINS TEST SERIES 2018

PAPER –II GENERAL KNOWLEDGE AND GENERAL STUDIES
Unit-II - **SOCIOLOGY**

नोटः सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 15-15 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है।

1. नामान्तरण क्या हैं ?

उत्तरः- जब कोई भूमि अन्तरण द्वारा अथवा उत्तराधिकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर दी जाती है। तब अंतरक के स्थान पर अंतरीति का नाम दर्ज करना नामांतरण है, इसका उद्देश्य लगान संदाय का दायित्व निर्धारित करना हैं ।

2. बाल श्रम (निषेध व निवारण) अधिनियम के तहत् कोई दो अपवाद लिखिए ?

उत्तरः- (i) पारिवारिक व्यवसाय (खतरनाक श्रेंणी में न हो) में कार्यरत बालक जिसकी शिक्षा पर प्रभाव न पड़े ।
(ii) श्रव्य-दृश्य उद्योग

3. **अधिगम (Learning) किसे कहते हैं ?**

उत्तरः- अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। इसमें ज्ञान व व्यवहार दोनों सम्मिलित है।

4. **पुनर्बलन (Reintrument) से क्या तात्पर्य हैं ?**

उत्तरः- कोई ऐसी क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती हैं पुनर्बलन कहलाती हैं उदाहरण - स्कीनर के अनुसार भोजन (पुनर्बलन) हेतु बार बार चूहे द्वारा लीवर दबाना (अनुक्रिया)

5. **खेवट से क्या अभिप्राय हैं ?**

उत्तरः- खेवट अधिकार अभिलेख से संबंधित एक महत्वपूर्ण रजिस्टर है जिसमें क्षेत्र के प्रत्येक सम्पदाधारी व सह अंशधारियों, कब्जाधारी, बंधकदारों के हितों का स्वरूप व सीमा निर्दिष्ट की जाती है।

6. **स्थानीय शिकायत समिति (LCC) की संरचना बताइये ?**

उत्तर :- कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पड़ीन से संरक्षण अधिनियम की धारा (7) के तहत् स्थानीय समिति जिला अधिकारी द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी -
(i) अध्यक्ष - सामाजिक कार्य व महिला समानता हेतु प्रतिबद्ध महिला
(ii) एक महिला, जो जिले में ब्लॉक, तालुक, तहसील या वार्ड में कार्यरत महिलाओं में से हो।
(iii) दो सदस्य (जिनमें एक महिला अनिवार्य) जो महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध गैरसरकारी संगठन या लैगिंक उत्पड़ीन के मुद्दों से परिचित हो।
इनमें से कम से कम एक विधिक ज्ञाता व एक ST/SC/OBC या अल्पसंख्यक समुदाय की महिला हो।
सामाजिक कल्याण/महिला-बाल विकास अधिकारी पदेन सदस्य।

7. **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम Rajasthan Tenancy Act ,1955 के अन्तर्गत अभिधारियों के प्राथमिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।**

उत्तरः- धारा 31 से 37 तक अभिधारियों के प्राथमिक अधिकार वर्णित है, जो निम्न है।
(1) निवास के लिए मकान का अधिकार
(2) लिखित पट्टा प्राप्त करने का अधिकार
(3) पट्टा के प्रमाणीकरण का अधिकार
(4) प्रीमियम व बेगार का निषेध
(5) लगान से भिन्न संदाय का प्रतिषेध
(6) सामग्री उपयोग का अधिकार
(7) नालबट में अधिकार
(8) जब्ती, कुर्की व विक्रय पर रोक

8. **राजस्व बोर्ड का गठन(structure), क्षेत्राधिकार व शक्तियों का उल्लेख कीजिए ?**

उत्तरः- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 4 से 7 में राजस्व बोर्ड के गठन का प्रावधान किया है। इसके तहत बोर्ड में एक अध्यक्ष व न्यूनतम 3 व अधिकतम 15 सदस्य हो सकते है। राज्य सरकार द्वारा अस्थायी तौर पर सदस्य संख्या में

वृद्धि की जा सकती है व नियुक्तियों को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के लिए एक 'राजिस्ट्रार' व अनुसचिवीय अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी।

क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ

(1) उच्चतम राजस्व न्यायालय-राजस्व बोर्ड राज्य में अपील, पुनरीक्षण व निर्देशन का उच्चतम राजस्व न्यायालय माना जाएगा।
(2) अधीक्षण की शक्ति अन्य राजस्व न्यायालायों व राजस्व अधिकारियों पर सामान्य अधीक्षण व नियंत्रण।
(3) कार्य का वितरण व प्रशासनिक नियंत्रण।
(4) वृहत्तर न्यायपीठ को निर्देशित करने की शक्ति
(5) उच्च न्यायलय को निर्देशित (रेफर) करने की शक्ति सार्वजनिक महत्त्व के मामले में जब उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन हो अथवा विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा/रूढ़ि/दस्तावेज का अर्थान्वयन करवाना हो।
(6) अवमान के लिए दण्ड देने का अधिकार।

सारथि एकेडमी